

मैं० दीवान सिंह सिंह पपोला द्वारा ग्राम-खाटीगांव एवं रंगदेव तहसील व जनपद- बागेश्वर, उत्तराखण्ड के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 12.05.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैं० श्री दीवान सिंह पपोला द्वारा ग्राम-खाटीगांव एवं रंगदेव तहसील व जिला-बागेश्वर उत्तराखण्ड, सोप स्टोन मार्ईनिंग प्रोडक्ट (8.529 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर अमर उजाला तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के दिन 30.03.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुकम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ₹०आई०ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदकम में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दिन 12.05.2023 को परियोजना स्थल, निकट प्राथमिक विद्यालय रंगदेव में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के हरीश चन्द्र जोशी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में अधिसूचित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदकम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स कान्नीजेन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, परियोजना का खनन स्थल ग्राम-खाटीगांव एवं रंगदेव तहसील व जिला-बागेश्वर में स्थित है। प्रस्तावित इकाई को निर्गत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित Terms of Reference के अनुसार डाप्ट पर्यावरण प्रमाण आंकलन रिपोर्ट तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गयी है प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य विभिन्न आवश्यकताओं सहित स्थनीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा राज्य को राजस्व में वृद्धि करना है। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण, भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये हैं। विश्लेषण आख्यायें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं तथा क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खनन से स्थानीय आवादी को रोजगार प्रदान करेगी, पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा धूल नियंत्रण, पानी का छिड़काव, जल/वायु, ध्वनि स्तर अनुश्रवण, वृक्षारोपण तथा रखरखाव व सीईआर मदों में धन राशि आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि प्रस्तावित खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा। परियोजना क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेंगी तथा प्रस्तावित परियोजना का पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव क्षेत्र में नहीं होगा। तदकम में जिलाधिकारी

५७

४४

Dated : 1/1/2023  
द्वारा पर्यावरण सलाहकार को अपेक्षा की गयी कि वह संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट में क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र व स्थानीय प्राइमरी स्कूल आदि में मूलभूत सुविधाओं हेतु सी0एस0आर0 मद में धनराशि का प्राविधान करें। तदसंबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना रिपोर्ट में संशोधन करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवश्यत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।


1. श्री गौरी दत्त जोशी ग्राम-खाटीगांव जिला-बागेश्वर:- श्री जोशी द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित समस्त लोगों का स्वागत करते हुये कहा कि क्षेत्र में पानी के श्रोत कम होने से गर्भियों के दौरान पानी की समस्या बनी रहती है। जिस हेतु वाडा मझेड़ा पेयजल योजना में इस गांव को सम्मिलित किया जाय तथा सड़क की डामरीकरण की आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया गया और परियोजना प्रस्तावक से अपेक्ष की गयी प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिया जाए तथा क्षेत्र में जंगली जानवरों की अधिकता, फसलों के नुकसान आदि के दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित खड़िया खनन परियोजना का सर्वथन किया गया। रोजगार के संबंध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा पर्यावरण सलाहकार से कहा गया कि स्थानीय लोगों के रोजगार के संबंध में रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जिस हेतु परियोजना रिपोर्ट आवश्यक संशोधन किया जाय।
2. श्री सुरेन्द्र चन्द्र जोशी, ग्राम- रंगदेव, जिला-बागेश्वर- श्री जोशी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित समस्त लोगों का स्वागत करते हुये अवगत कराया कि खड़िया खनन परियोजना गांव वालों द्वारा पूर्व में सहमति प्रदान की गयी है। परन्तु गांववालों को रोजगार, पानी, सड़क, शिक्षा स्वास्थ की सुविधायें होनी चाहिये तथा जंगली जानवरों से मुक्ति के संबंध में आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया।
3. श्रीमती रेखा जोशी ग्राम- रंगदेव, जिला-बागेश्वर- श्रीमती जोशी ने गैस, सड़क आदि की समस्याये अवगत कराते हुये समस्याओं की समाधान की अपेक्षा की गयी। तदकम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित जन प्रतिनिधि तथा अन्य लोगों से पुनः प्रस्तावित परियोजना के संबंध में सुझाव आपत्तियाँ, टीका टिप्पणी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
4. श्री रतन सिंह पपोला, ग्राम-पपोली जिला-बागेश्वर- श्री पपोला द्वारा जिलाधिकारी महोदया का स्वागत करते हुये स्थानीय समस्याओं को अवगत कराते हुये प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में सहमति व्यक्त की गयी है।
5. श्री दिवान सिंह पपोला (परियोजना प्रस्तावक) ग्राम-काफली तहसील-दुगनाकुरी, जिला-बागेश्वर- श्री पपोला द्वारा लोक सुनवाई में सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा प्राप्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा व स्थानीय जनता की परियोजना से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जायेगा। स्थानीय लोगों को परियोजना में रोजगार का आश्वासन दिया गया व सहयोग की उम्मीद की गयी।


जिलाधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्ताव से अपेक्षा की गयी कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों का रोपण स्थानीय महिलाओं द्वारा किया जाय। जिससे रोजगार प्राप्त होगा तथा पौधों का क्य स्थानीय मनरेगा की नर्सरी से किया जाना

✓

✓

Sahastri Date No. 0155  
सुनिश्चित करें। स्वास्थ शिविर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राइमरी पाठशाला में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थानीय लोगों के सहयोग से करने को कहा गया।  
अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।  
उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफ़ी, फोटोग्राफ़ी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

  
(हरीश चन्द्र जोशी)  
सहायतामन्त्री अधिकारी  
उप्रेन्द्रिय बोर्ड हल्द्वानी।

  
(अनुराधा पाल)  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर।